प्रेस नोट–131/2026
दिनांक 07.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 58 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.03.2026 को थाना नवाबगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उमरिया पावर हाउस के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विकास घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सौरभ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 58 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी रामपुरभगाई थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

2–सौरभ निवासी ग्राम बनबरिया थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लूट के 58 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के 20 हजार 25 रूपये नगद**
- **चोरी के 31 मोबाइल फोन, 02 ईयरबड**
- **चोरी की 01 एसबीआई के चेक बरामद**

दिनांक 07.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त राजू उर्फ पिट्टू को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 हजार 25 रूपये नगद, चोरी के 31 मोबाइल फोन, 02 ईयरबड, चोरी की 01 एसबीआई के चेक बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये, मोबाइल फोन आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू उर्फ पिट्टू निवासी चांदी पट्टी थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना, म0प्र0।

बरामदगी

1–चोरी के 20 हजार 25 रूपये नगद।

2–चोरी के 31 मोबाइल फोन, 02 ईयरबड।

3–चोरी की 01 एसबीआई के चेक।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–राकेश 2–ओमप्रकाश उर्फ चिथरू को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बिनौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———